PBR/निगरानी/नीमच/भू-रा/2017/1926

न्यायालय समआदरणीय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण कमॉक– /पुननिरीक्षण/2017

अम्बालाल पिता भंवरलाल पाटीदार

आयु–65 वर्ष, व्यवसाय–कृषि,

निवासी–ग्राम पालसौड़ा तह. जिरन जिला नीमच

........आवेदक

विरूद्ध

1. ख्यालीराम पिता भंवरलाल आयु–73 वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी–ग्राम पालसौड़ा तह. जिरन जिला नीमच

2. म.प्र. शासन ....अनावेदकगण

प्रार्थी अभिभाषक श्री कैलाश जोशी द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 06-6-17
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

143
06/06/17

कैम्प उज्जैन
के आदेश
21-6-17

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय नीमच के समक्ष विचाराधीन अपील क.3/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 19.04.17 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर उक्त निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रार्थी/आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, आवेदक की ओर से श्रीमान तहसीलदार महोदय जीरन के समक्ष धारा 109,110 के तहत इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया ग्राम मौजा पालसौड़ा स्थित भूमि सर्वे नं. 207 रकबा 0.41 हे.भूमि आवेदक को पूर्व पारिवारिक विभाजन अनुसार प्राप्त हुई है और उसी भूमि पर आवेदक काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। प्रकरण दर्ज किया गया विधिवत ईश्तहार का प्रकाश करवाया गया निर्धारित समयावधि में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/नीमच/भू.रा./2017/1926

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश जोशी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	